**Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878**

# डा0 भीम राव अम्बेडकर की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक प्रजातंत्र के संदर्भ में सामाजिक न्याय की वैचारिक अवधारणा

**धनंजय भारती***

**डॉ0 छाया सोनी****

***स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज अंग्रेजों के चंगुल में था। स्वतंत्रता मिलने के उपरान्त भारत के सभी वर्गों को स्वतंत्रता और समानता नहीं मिल पायी। डा0 भीम राव द्वारा संरचित भारतीय संविधान में स्वतंत्रा व समानता की बात पूर्ण रूप से वर्णित है और इसको कानूनी स्वीकृति प्रदान भी की गयी है।***

डा0 भीम राव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी (जिसे वर्तमान में डा0 अम्बेडकर नगर कहा जाता है) में एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। वे अपने माता–पिता के 14वीं सन्तान थे। वह बचपन से जाति व्यवस्था के दंश झेलते रहे, जिसका उनके मन–मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। तब उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया और जीवन पर्यन्त मनुवादी व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष तथा समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने का अथक प्रयास किये। डा0 भीम राव अम्बेडकर आधुनिक भारत निर्माता व भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, साथ ही सामाजिक न्याय व सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक भी थे। वह भारतीय समाज के अत्यन्त पिछड़े/वंचित वर्ग का प्रतिनिधत्व करते थे तथा वह हमेशा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समानता व अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहें। उन्होंने हिन्दुओं में अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों को संगठित करके उन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि ''हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं ..... राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनकों अपने रहने का तरीका बदलना होगा .....उनकों शिक्षित होना चाहिए.....एक बड़ी आवश्कता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अन्दर उस दैवीय असन्तोष की स्थापना कराने की है जो सभी ऊँचाइयों का स्रोत है।'' स्वयं हिन्दू धर्म के अस्पृश्य जाति में जन्म लेन के कारण समाज में जातिवाद तथा छुआ–छूत के कारण उन्हें जीवन भर अपमान तथा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। डा0 अम्बेडकर के विचारों पर गौतम बुद्ध, सन्त कबीर, ज्योतिबा राव फूले, मार्क्स व शाहू जी महाराज तथा विदेशों में शिक्षा प्राप्ति के दौरान उन पर अब्राहम लिंकन तथा वाशिंगटन के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने समानता के व्यवहार का अनुभव किया जो भारत में अस्पृश्य लोगों के लिए पूर्णरूप से वर्जित था। इस प्रकार डा0 भीम राव अम्बेडकर की विचारधारा पर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता तथा भातृत्व के पाश्चात्य विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे उन्हें भारत में दलितों के उद्धार हेतु संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। उनका विचार था कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह मांग करता है कि सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार किया जाए और लिंग, वर्ग, जाति, धर्म व स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ जीवन के सभी अवसर सुलभ कराये जाए, ताकि किसी के साथ सामाजिक अन्याय न हो। वस्तुतः सामाजिक न्याय एक विस्तृत लोकतांत्रिक अवधारणा है, जिसमें आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा

* **शोध छात्र, शिक्षा संकाय (क), बी0एच0यू0, वाराणसी**

** **असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय (क), बी0एच0यू0, वाराणसी**

राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। इस प्रकार भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक देश में मानवता के सभी अधिकार समाज के सभी उपेक्षित वर्गों को मिले, ताकि वे राष्ट्र के उपयोगी नागरिक बन सकें। सभी लोगों को मानवीय न्याय युक्त अधिकार देना समाजिक शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।

प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दशक तक भारत में दलितों की स्थिति बहुत शोचनीय थी क्योंकि यहाँ हिन्दू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और आज भी है। इस वर्ण व्यवस्था में चार प्रकार के वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) का उल्लेख मिलता है। यह वर्ण व्यवस्था सोपान पर आधारित है, जिसमें उपरोक्त सभी उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों पर अत्यधिक अमानवीय अत्याचार करते थे। इस वर्ण व्यवस्था के कारण शूद्रों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक अधिकारों से वंचित रखा गया। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए सारा जीवन संघर्ष किया। अंग्रेजी शासन काल में भी वंचितों के उत्थान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इनका दोहरा शोषण होने लगा।

स्वतंत्रता के पश्चात् भी हमारे देश में कुछ दशक तक दलितों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही परन्तु कुछ समय बाद लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और इस कमजोर वर्ग के नेता समाज सुधारक के रूप में उभरकर सामने आये और लोगों को संविधान में वर्णित अधिकारों के बारे में जागृत किया, परन्तु आज भी दलितों व वंचितों के ऊपर दिन–प्रतिदिन जघन्य अमानवीय अपराध किये जा रहे हैं जो मानवाधिकार के विरूद्ध है। इस तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्य पक्षों के साथ–साथ व्यक्ति का स्वयं का सहयोग अपरिहार्य है। इसलिए वह स्वयं जब तक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता, कानून जो भी स्वतंत्रता देता है, वह स्वतंत्रता व्यक्ति के किसी काम की नहीं होगी।

**सामाजिक प्रजातंत्र की अवधारणा –**

20वीं शताब्दीं में दलितों के चिंतक के रूप में डा0 भीम राव अम्बेडकर का पर्दापण हुआ। बचपन से ही आप जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के दंश का शिकार होते रहे। आपने अपना सम्पूर्ण जीवन हिन्दू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्याप्त जाति व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष में बिता दिया। आप वंचितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक अधिकार दिलाने तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए जीवन पर्यन्त अथक प्रयास किये। सामाजिक स्तर पर छुआ–छूत एवं भेदभाव को मिटाने तथा लोगों के अधिकार दिलाने के लिए कई आन्दोलन चलायें और पत्रिकाएँ प्रकाशित की तथा 1936 में 'जाति के विनाशक' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।

आधुनिक भारत के श्रेष्ठ चिन्तक डा0 भीम राव अम्बेडकर ने संविधान में सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनैतिक अधिकार तथा लोकतंत्र में सभी के भागीदारी का उल्लेख किया। अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुधार की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक सोच को सम्मान मिला। उनकी यह पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज सामाजिक, आर्थिक नीतियों, शिक्षा, कानूनों और साकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से प्रदर्शित होती है। उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था और उन्होंने समान रूप से रूढ़िवादी और जातिवादी हिन्दू समाज की संकीर्ण और कट्टर नीतियों की आलोचना की। इसलिए डा0 भीम राव अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म के मनुवादी व्यवस्था में व्याप्त सभी प्रकार की बुराईयों को देखते हुए कहा है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हुँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाई–चारा सिखायें।

डा0 भीम राव अम्बेडकर एक ओर वंचितों की मुक्ति और सामाजिक समानता लाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर यह भी कहते थे कि भारत एक मजबूत, शक्तिशाली एवं महान राष्ट्र बने। उन्होंने इन दोनों दिशाओं में कार्य किया, किन्तु अगर इन दोनों में कभी भी प्राथमिकता का सवाल पैदा हुआ, तो वे पहले बिना संदेह के दलित उद्धार, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की स्थापना सम्बन्धी कार्य को

वरीयता देने पर जोर दिया। डा0 भीम राव अम्बेडकर का संघर्ष हिन्दू समाज की उस वर्ण व्यवस्था, आचार संहिता तथा मनुवादी विचारधारा के विरूद्ध थे, जिसमें सवर्ण के रूप में मान्य एक विशेष वर्ग को समाज के दूसरे वर्ग का शोषण, दमन और दासता के रूप में उत्पीड़ित करने का अधिकार प्राप्त था। समाज का वह शोषक वर्ग उस शोषित का अभिभावक तो था, किन्तु उस वर्ग के लोगों को मनुष्य मानने और समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप मे उनकों स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। समाज का शोषित वर्ग उच्च जाति का दास ही नहीं था, अपितु वह वर्ग तो अपनी उन्नति और आत्मा के उद्धार की भी नहीं सोच सकता था। बाबा साहेब के अनुसार, ईश्वर की सृष्टि में सभी माानव समान हैं और सभी उस परमपिता की संतान हैं, फिर भी एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करना उनकी दृष्टि में मानवीय अन्याय था। डा0 अम्बेडकर ने अप्रजातांत्रिक समाज के प्रति विद्रोह ही नहीं किया बल्कि इसके विरूद्ध सबल जनमत बनाने में भी लग गये। वे चाहते थे कि समाज का वह शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग इस शोषण के दलदल से बाहर निकले और इस वर्ग को भी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक प्रतिष्ठा तथा मानवीय अधिकार मिले।

डा0 भीम राव अम्बेडकर ने सभी चुनौतियों को गम्भीरता से लिया। उन्होंने व्यक्ति और समाज, संविधान तथा संसदीय प्रणाली, धर्म और नव मानवतावाद आदि के बारे में गम्भीर चिन्तन किया । इसी चिन्तन में उनका सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठिभूमि है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के रूढ़–स्वरूप, जातीयता और जड़ नैतिकता तथा धर्मान्धता के विरूद्ध संघर्ष किया, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने इन सब को बाधक माना। उन्होंने माना कि 'आर्य धर्म' संकुचित हो गया है तथा वही आज का 'हिन्दू धर्म' है। ब्राह्मण का वर्चस्व इसी संकुचित हिन्दू धर्म से हुआ है, जो समाज के शीर्ष पर स्थापित है और सभी लाभ स्वयं उठाता है। सवर्ण हिन्दुओं की कृपा पर अनन्त काल तक अस्पृश्य वर्ग को जीने के लिए बाध्य करना उनके साथ घोर अन्याय है। जाति प्रथा, वर्ण–व्यवस्था एवं अवर्ण–सवर्ण विभाजन एक निकृष्ट संगठन की बातें है। आज का हिन्दू समाज अस्पृश्यता, असमानता एवं शोषण रूपी भयंकर रोग से ग्रस्त है। उन्होंने इनका उन्मूलन आवश्यक माना तथा यह भी कहा कि इस आतंककारी व्यवस्था के आगे झूकना आत्महत्या के समान है। डा0 भीम राव अम्बेडकर ने व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्ध किया कि समाज में सभी मनुष्य समान है। सभी को समानता के साथ जीने का अधिकार है इसलिए सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता के आधार पर भारतीय समाज की पुनर्रचना की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से उन्मूलन आवश्यक माना।

**आर्थिक प्रजातंत्र की अवधारणा –**

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भी वंचित वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि जाति संरचना में सबसे नीचले स्तर पर पिछड़ व वंचित वर्ग थे, जिन्हें सामाजिक स्तर से हेय की दृष्टि से देखा जाता था। वंचितों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक शोषण, अत्याचारों एवं अमानवीय व्यवहार को सहना पड़ता था। उन पर ऊॅची जाति के लोगों के साथ उठने–बैठने, खाने–पीने, रहने, बातचीत करने, उत्सवों में भाग लेने, बराबरी के स्तर पर आचरण व धन इकट्ठा करने आदि पर कठोर प्रतिबंध लगे थे। इनका निवास स्थान उच्च वर्ग के लोगों से दूर दक्षिण दिशा में होते थे। इन्हें अच्छे मकानों में रहने, अच्छे खाने–पीने तथा अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन यज्ञ करने, यज्ञ कराने, दान लेने और दान देने के कार्य करते थे। क्षत्रियों को अध्ययन, यज्ञ करने, अस्त्र–शस्त्र के प्रयोग, शासन तथा दान देने के कार्य सौंपे गये थे। वैश्यों को अध्ययन, यज्ञ करने, दान देने, पशुपालन तथा व्यवसाय करने का अधिकार सौंपा गया था। दलितों को उच्च वर्ग के आदेशानुसार कार्य करने पड़ते थे तथा उन्हें कठिन शारीरिक श्रम वाले कार्यों पर ही लगाया जाता था

और श्रमिक भी नहीं दिया जाता था तथा कार्य करने से मना करने पर दण्डित किया जाता था। इसी कारण से बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके वजह से आज लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर अर्थ कमाने का मौका मिला है, फिर भी अभी भी उच्च पदों पर निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य ही है।

आर्थिक प्रजातंत्र अपने आप में सब कुछ समाहित किये हुए है, क्योंकि इसके बिना सामाजिक प्रजातंत्र प्राप्त करना सम्भव नहीं है। सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र को मजबूत करके ही हम सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार कर सकते है, क्योंकि अभी भी उच्च जातियों द्वारा शोषण पूर्ण रूप से रूका नहीं है। जब तक बाबा साहेब की सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र की अवधारणा को समाज में प्रमुखता से स्थान नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय की प्राप्ति से सम्भव नहीं है।

**राजनैतिक प्रजातंत्र की अवधारणा–**

1947 में स्वतंत्रता पश्चात् भारत में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि स्वतंत्र भारत में किस प्रकार की राजनैतिक प्रणाली को अपनाया जाए ताकि वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सके। तत्कालिक व्यवस्था में मनुवादी एवं सामंतवादी व्यवस्था का प्रभाव था। ऐसी व्यवस्था में वंचित वर्गों के अधिकार, विकास एवं सम्मानीय जीवन जीने के लिए कोई स्थान नहीं था। इस बात से डा0 भीम राव अम्बेडकर भलीभाँति परिचित थे। जब भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य बाबा साहेब को सौपा गया तो उन्होंने राजनैतिक प्रजातंत्र व्यवस्था पर बल दिया। प्रजातंत्र अपने आप में एक उच्च सामाजिक आदर्श है। अब्राहम लिंकन के अनुसार– ''जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन।'' ब्रिटिश लेखक जार्ज बर्नाड शॉ के अनुसार– ''प्रजातंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य सामान्य जनता के सर्वाधिक कल्याण में निहित है, न कि एक वर्ग विशेष के कल्याण में।'' इस प्रकार प्रजातंत्र का कार्य है समानतावादी समाज की स्थापना के लिए कार्य करना। बाबा साहेब का मानना था कि समतामूलक समाज की स्थापना राजनैतिक प्रजातंत्र में ही सम्भव है। बाबा साहेब के अनुसार– ''राजनैतिक सत्ता वह मास्टर चाभी है, जिससे आप अपनी तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं।'' इसलिए बाबा साहेब ने शशक्त संविधान बनाकर देश में सुदृढ़ प्रजातंत्र की नींव रखी तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वंचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा मानवीय अधिकारों की सुरक्षा व सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निरूपित किये। अम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन के कारण बड़ी संख्या में वंचित वर्ग, राजनीतिक दल, प्रकाशन और कार्यकर्ता संघ आदि अस्तित्व में आये जो आज पूरे भारत में सक्रिय रूप से भूमिका में हैं। आजाद भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाये जाने पर उन्होंने नई सामाजिक व्यवस्था कायम करने की कल्पना की। उनका विचार था कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था की विभीषिका को स्वतंत्र भारत में दलितों को भोगने के लिए अब और अधिक विवश व बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने इसी आदर्शों को भारतीय संविधान में स्वीकृति करवाया तथा सामाजिक, आर्थिक समता, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता और शैक्षिक अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।

देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन दिखायी दे रहा है। वंचित वर्गों की आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है तथा समाज के सभी क्षेत्रों में इनका प्रभाव और योगदान बढ़ा है, इसका श्रेय डा0 भीम राव अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहेब शिक्षा के माध्यम से समानता और न्याय पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका विचार था कि भारत ऐसा देश हो जहॉ पर चारों ओर सामाजिक न्याय दिखायी दे। इसके लिए उन्होंने संविधाान में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रजातंत्र की नींव रखी। जहॉ पर सभी मानव एक समान होंगे और उनके साथ धर्म, लिंग, वर्ण तथा जाति के आधार पर भेदभाव व अन्याय न हो। तभी सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। वर्तमान समय में सामाजिक

न्याय की अवधारणा को काफी हद तक साकार किया जा चुका है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सामाजिक न्याय की सभी क्षेत्रों में चुनौतियाँ समाप्त हो गयी है। बल्कि आज भी ये चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इन चुनौतियाँ को समाप्त करने के लिए समाज में शैक्षिक जागरूकता लाया जाना अति आवश्यक है। डा0 भीम राव अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, ''डा0 अम्बेडकर हिन्दू समाज की तमाम बुराईयों के विरूद्ध प्रतिरोध के प्रतीक थे।'' डा0 अम्बेडकर ने सम्पूर्ण जीवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में गुजार दिये। उनका समस्त जीवन वंचित वर्गों के शोषण के विरूद्ध एक सशक्त आवाज थी। समाज व देश के प्रति अमूल्य योगदान को देखते हुए 1990 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया और 1990–1991 के वर्ष को उनकी स्मृति में ''सामाजिक न्याय का वर्ष'' घोषित किया गया था। 21वीं सदी में आपको ''ज्ञान के प्रतीक Symbol of knowledge'' से भी नवाजा गया।

वर्तमान समय में बाबा साहेब का विचार प्रासंगिक है। उनका विचार था कि जब तक सामाजिक समरसता नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की अवधारणा अधूरी रहेगी। इसलिए तत्कालीन सरकारे भी सामाजिक न्याय पर जोर दे रही हैं ताकि सबकों अपने अधिकार मिल सके।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डा0 बाबा साहेब भारत में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत जाति व्यवस्था का उन्मूलन और सामाजिक न्याय की दृष्टि से समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उन सभी विचारों व व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना चाहते थे जो किसी वर्ग विशेष को श्रेष्ठ सिद्ध करते थे। डा0 बाबा साहेब का मानना था कि सामाजिक न्याय वह स्थिति है जहा समाज के सभी वर्ग एक समान न्याय की अनुभूति करे तथा कोई भी वर्ग दूसरे वर्गों की अपेक्षा वंचन की स्थिति में न हो। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि जो वर्ग किसी एक अथवा दूसरे कारण से अब तक अन्याय व शोषण का जीवन व्यतीत कर रहे हो, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक संरक्षण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रजातंत्र की वकालत की थी, जिसमें किसी भी प्रकार के जैसे– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक, लिंग तथा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न किया जाए। भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने तथा किसी के साथ सामाजिक अन्याय न हो इसलिए बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है तथा अति पिछड़े व वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में की जिससे देश का वंचित वर्ग समाज के मुख्यधारा में जुड़कर राष्ट्र के विकास एवं निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे सके।

**संदर्भः**


- अम्बेडकर, बी0 आर0 (1980). *बुद्धा एण्ड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन,* जालंधरः भीम पत्रिका प्रकाशन.
- मून, बसन्त (एडिटेड)(1991). *प्राब्लम ऑफ रूपीज,* बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्.मय, खण्ड–6, महाराष्ट्रः शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार.
- मून, बसन्त (एडिटेड)(1991). *एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स,* बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्.मय, खण्ड–1, महाराष्ट्रः शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार.
- ओझा, एन0एन0 (एडिटेड)(2010). भारत की सामाजिक समस्याएँ, नई दिल्लीः क्रानिकल पब्लिशिंग, पेज 208–286.
- निगम, दयानाथ (एडिटेड)(2015). अम्बेडकर इन इण्डिया सितम्बर–अक्टूबर, लखनऊः गोमती नगर.
- मल, पूरण (2010). मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, जयपुरः प्वाइंटर पब्लिशर्स.
- राजशेखराचार्य, ए0एस0 (1989). बी0 आर0 अम्बेडकर–क्विस्ट फॉर सोशल जस्टिस, नई दिल्ली ,उप्पल पब्लिशिंग हाउस.

- सारस्वत, ऋतु (2015). अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकताः कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2015, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पेज 15–17.
- Das, Bhagwan (……). *Revival of Buddhism in India and Role of Dr. Baba Saheb B.R. Ambedkar*, Lucknow: Dalit Today Prakashan, 18/455, Indira Nagar.
- Keer, Dhananjay (……). *Dr. Ambedkar: Life and Mission*, Mumbai: Popular Prakashan.
- Gautam, C. (2000). .*Life of Babasaheb Ambedkar*, London: Ambedkar Memorial Trust, Milan House, 8 Kingsland Road, London E2 8DA Second Edition.
- Kasare, M. L. (……). *Economic Philosophy of Dr. B.R. Ambedkar*, New Delhi: B.I. Publications Pvt. Ltd.
- Kumar, Sanjeev (2012). Manu Smriti ans Cast System, Retrived on 06/01/2017 from <http://agniveer.com/manu-smriti-and-shudras-hindi.>
- Limbale, Sharankumar (2010). *Dalit sahitya vedna or vidroh*. New Delhi: Vani Prakashan.
- Mishra, Gopal (2016). Baba Saheb Bhim Rao Ambedakar. Retrived on 06/01/2017 from<http://www.achhikhabar.com/2013/04/02/dr-b-r-ambedkar-life-jayanti-essay-in-hindi/.>
- Mishra, Gopal (2016). *Dr. B. R. Ambedkar* ke Anmol Vachan. Retrived on 06/01/2017 from <http://www.achhikhabar.com/2012/05/31/dr-b-r-ambedkar-quotes-in-hindi/.>
- Singh, Raghubir (……). *Dr. Ambedkar and Dalit Chetna*, Delhi: Kamna Prakashan.
- Singh, Ramgopal (……). *Dr. Ambedkar Ka Vichar Darshan*, Bhopal: Madhya Pradesh Hindi Granth Academy.
- wikipedia (2016). Bhimrao Ambedkar. Retrived on 06/01/2017 from <Error! Hyperlink reference not valid..>
- http://gautambookcenter.com/category.php?cid=207